न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 68/2023 बउनवानी हंसराज मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधिकारी,स०मा० पुत्र श्री कल्याण मीना निवासी आकोदिया तहसील सवाईमाधोपुर
GCMS No-2023/137

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16.11.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 12.9.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. प्रार्थी का उचित मूल्य दुकानदार अनुज्ञा पत्र संख्या 1268/1998 ग्राम पंचायत रामपुरा 1/2 भाग का अनुज्ञा पत्र दिनांक 25.3.2000 को जिला रसद अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया था। उक्त लाईसेंस निरस्त से संबंधित आदेश पत्र क्रमांक दिनांक सहित समस्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2023/368 दिनांक 9.11.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2023 व 9.10.2023 मे चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड जिला रसद कार्यालय मे उपलब्ध नही होने पर उक्त वांछित सूचनाऐ उपलब्ध करवाने बाबत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जिला अभिलेखागार को अन्तरित किया गया क्योकि प्रार्थी के एपीएस डीलर का अनुज्ञा पत्र संख्या 1268/1998 का निरस्ती आदेश दिनांक 25.3.2000 की प्रमाणित प्रति जिला कलेक्टर न्यायालय की अपील संख्या 8/2000 निर्णय दिनांक 8.5.2000 मे संलग्न होने के कारण उक्त आदेश दिनांक 25.3.2000 प्रति से नकल तैयार कर रिकार्ड कीपर जिला अभिलेखागार के पत्रांक 132 दिनांक 26.10.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.09.2023 व 9.10.2023 में चाही गयी सूचना रिकार्ड कीपर, जिला अभिलेखागार सवाईमाधोपुर के पत्रांक/2023/132 दिनांक 26.10.2023 से [illegible] करवायी जा चुकी है एवं भिजवायी गयी सूचना पर अपीलान्ट द्वारा कोई आपत्ति भी न्यायालय मे प्रस्तुत नही की गयी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की [illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible] आवे। आज्ञा [illegible] गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:52:56 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner